न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–प्रथम (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/2019/16

1. कालूराम पुत्र भूराराम
2. भोलूराम पुत्र भूराराम
3. राधाकिशन पुत्र लादू
4. कन्हैया लाल पुत्र मुरली
5. सोहन लाल पुत्र मुरली
6. माधो लाल पुत्र मुरली
7. बाबू लाल पुत्र मुरली
8. लादी देवी पत्नी गोपाल
9. गोवर्धन पुत्र गोपाल
10. डालू उर्फ छीतर पुत्र शंकर
11. रामस्वरूप पुत्र छीतर

जाति जाट निवासीगण ग्राम चिरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, उप तहसील बगरू, जिला जयपुर (राज0)
2. यूकों बैंक, जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा बगरू, जिला जयपुर।
3. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा नीमेडा, जिला जयपुर।
4. केनेरा बैंक, जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा बगरू, जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण

दावा घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 92 ए एवं 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय

निर्णय दिनांक: 08.01.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:09 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से [illegible] वाद का संक्षेप में [illegible]नुसार है :–

वादीगण की कब्जे काश्त एवं उपयोग की कृषि भूमि [illegible] ग्राम चिरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर का प्रथम सैटलमेन्ट संवत 2015 में हु[illegible] तब वादीगण के नाम से आराजी

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

खसरा नंबर 118 रकबा 18 बिस्वा कुल किता एक कुल रकबा 18 बिस्वा जारी हुआ। वादीगण के साबिक खसरा नंबर 118 रकबा 18 बिस्वा ग्राम चिरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है के भू प्रबंध विभाग ने भू प्रबंध अवधि 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 तक के लिए खाता संख्या नया 11 व खाता संख्या पुराना 36 के नवीन खसरा 247 रकबा 0.04 हैक्टेयर कामय किया। जिसमें पूर्व में भूमि का रकबा 18 बिस्वा (0.23 हैक्टेयर) जिसको भू–प्रबंध विभाग की गलती से नवीन खसरा नंबर 247 रकबा 0.04 हैक्टेयर गलत इन्द्राज कर दिया गया। जबकि राजस्व रिकॉर्ड के हाल नक्शा ट्रेस में नक्शा सेटलमेन्ट से पूर्व की भॉति वर्तमान में अंकन है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त गलत इन्द्राज होने से वादीगण को भूमि का रकबा कम होने की क्षति पहुॅची है। जिसमें वादीगण 01 लगायत 02 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 03 का 1/4 हिस्सा व वादीगण संख्या 4 लगायत 7 का 1/4 हिस्सा, गोपाल पुत्र छीतर का देहान्त होने के कारण उनके वारीस उनकी पत्नी अर्थात् वादी संख्या 08 व पुत्र वादी संख्या 09 को पक्षकार बनाया गया इसके अनुसार वादीगण संख्या 8 लगायत 11 का 1/4 हिस्सा के वर्तमान में कब्जे काश्त अनुसार अभिलिखित खातेदार है। भू–प्रबंध विभाग की गलती से वादीगण के हक व अधिकारों का हनन हुआ है। दिनांक 05.02.2019 को वादीगण द्वारा भूमि का रूपान्तरा करवाने के लिए हाल दस्तावेज भू विभाग द्वारा प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 11 व खाता संख्या पुराना 36 के नवीन खसरा 247 रकबा 0.04 हैक्टेयर है। जिसमें पूर्व में भूमि रकबा 18 बिस्वा (0.23) जिसको भू–प्रबंध विभाग की गलती से नवीन खसरा नंबर 247 रकबा 0.04 हैक्टेयर गलत इन्द्राज कर दिया गया। जबकि नक्शा ट्रेस में सेटलमेन्ट से पूर्व की भॉति वर्तमान में वादीगण 0.23 हैक्टेयर पर काश्त कर रहे है। इसलिए वादीगण को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहा। इसलिए वादीगण को अपने अधिकारों की घोषणा करना आवश्यक हुआ।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणा फरमायी जावे कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या नया 11 व खाता संख्या पुराना 36 के नवीन खसरा नंबर 247 रकबा 0.04 हैक्टेयर कायम किया। जिसमें पूर्व में भूमि रकबा 18 बिस्वा (0.23 हैक्टेयर) जिसको भू–प्रबंध विभाग की गलती से नवीन खसरा नंबर 247 रकबा 0.04 हैक्टेयर गलत इन्द्राज कर दिया गया। जिससे वादीगण के हक व अधिकारों का हनन हुआ है। इसलिये सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नंबर 118 रकबा 18 बिस्वा (0.23) अनुसार वर्तमान खसरा नंबर 247 रकबा 0.4 हैक्टेयर में इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणा कराने के अधिकारी है। वादीगण की वादग्रस्त उपरोक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:09 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी ने वाद के समर्थन [illegible] जमाबंदी (खतौनी) सम्वत् 2035–2038, मिलान क्षेत्रफल, अवधि बन्दोबस्त भू प्रबंध वि[illegible] (1989), नक्शा ट्रेस पुराना, जमाबंदी 1985–2009, हाल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस पे[illegible] जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जरिये

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 4 की तामील जरिये रजिस्टर्ड एडी करवाई गई, लेकिन बावजूद सूचना प्रतिवादी संख्या 4 उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित है कि :– वादीगण की कब्जे काश्त एवं उपयोग की कृषि भूमि स्थित ग्राम चिरोटा, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित है। जो सम्वत् 2015 में हुआ। सेटलमेन्ट में भूरा, मुरली, राधाकिशन पि0 लादु हि0 3/4, गोपाल, डालू पि0 छितर हि0 1/4 कोम जाट सा.देह के नाम से आराजी खसरा नंबर 118 रकबा 0.18 बीस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 0.18 बिस्वा जारी हुआ। (जमाबंदी की फोटो प्रति के आधार पर प्रति संलग्न है) राजस्व रिकॉर्ड सम्वत् 2072–2075 के खाता सं. 11 में खसरा नंबर 247 रकबा 0.04 हैक्टेयर दर्ज है। जबकि सम्वत् 2036–2039 के खाता संख्या 29 में खसरा नंबर 118 का कुल रकबा 0.18 बिस्वा दर्ज था। (फोटो प्रति संलग्न है) मिसल बन्दोबस्त के आधार पर खसरा नंबर 118 रकबा 18 बिस्वा का नया नंबर 247 रकबा 0.04 है दर्ज किया गया। जो तुललात्मक रूप से कम है। जबकि मौके पर सभी खातेदारो का भूमि पर पूर्व की भांति लगभग 18 बिस्वा पर कब्जा है। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में रकबा कम दर्शाया गया है प्रतित होता है (मिसल बन्दोबस्त व पूर्व व हाल नक्शे की फोटो प्रति संलग्न है) उक्त भूमि का हाल खसरा नंबर 247 रकबा 0.04 (सम्वत् 2074–2077) में (1)कन्हैयालाल, बाबूलाल, माधोलाल, सोहनलाल पि0 मुरली हि0 1/4, राहिन यूको बैंक शाखा बगरू (2) कालूराम, भोलुराम पि0 भुराराम हि0 1/4 राहिन केनरा बैंक शाखा बगरू, (3) गोपाल, डालू, रामस्वरूप पि0 छितर हि0 1/4 राहिन केनरा बैंक शाखा बगरू (4) राधाकिशन पुत्र लादु हि0 1/4 राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा नीमेडा जाति जाट समस्त .खातेदार के नाम से हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। पूर्व व हाल की जमाबंदी, मिसल बन्दोबस्त, पूर्व व हाल का नक्शा के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर सेवा में पेश है।

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने वाद पत्र का जवाब न देकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। वादपत्र पर बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया है दौराने सेटमेन्ट सवत् 1989 से 2009 के मध्य वादी के साबिक खसरा नंबर 118 रकबा 18 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 147 रकबा 0.04 हैक्टेयर बनाये गये। लेकिन सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा साबिक रकबा 18 बिस्वा का 0.23 हैक्टेयर के बनाय 0. 04 हैक्टेयर अंकित किया गया जो गलत है वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नंबर 118 के नवीन खसरा नंबर 147 पर वादीगण का कब्जा काश्त पूर्वानुसार 18 बिस्वा पर आदिनांक तक है। वादग्रस्त भूमि 18 बिस्वा पर वादीगण का कब्जा–काश्त है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि मु पुर्वानुसार वादीगण को रकबा दुरूस्त कर 0.23 हैक्टेयर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजा[illegible] गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी(खतौनी) [illegible] 2035 [illegible] वा[illegible]म चिरोट पटवार क्षेत्र अजयराजपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र मूहाना त[illegible] सांगानेर जिला [illegible]र खाता संख्या नयी 29 पुराना 32 के खसरा नंबर 118 में रकबा 18 [illegible] है। भू–प्रबंध विभाग के क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र में साबिक खसरा नंबर 118 रकबा 18 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 147

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

रकबा 0.04 हैक्टेयर दर्ज है। व वर्तमान जमाबंदी सवंत् 2072–75 ग्राम चिरोटा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर खाता संख्या नया 11 पुराना 36 के खसरा नंबर 247 में रकबा 0.04 हैक्टेयर दर्ज है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा भी अपने जवाब दावे में साबिक खसरा नंबर से हाल खसरा नंबर में भूमि कम अंकित होना बताया है। जबकि मौके पर सभी खातेदारो का भूमि पर पूर्व की भांति लगभग 18 बिस्वा पर कब्जा बताया है। प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट अवधि 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 तक के लिए खाता संख्या नया 11 व खाता संख्या पुराना 36 के नवीन खसरा 247 रकबा 0.04 हैक्टेयर कामय किया। जिसमें पूर्व में भूमि का रकबा 18 बिस्वा (0.23 हैक्टेयर) जिसको भू–प्रबंध विभाग की गलती से नवीन खसरा नंबर 247 रकबा 0.04 हैक्टेयर गलत इन्द्राज कर दिया गया। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त गलत इन्द्राज होने से वादीगण को भूमि का रकबा कम होने की क्षति पहुॅची है। जिसकी पुष्टि तहसीदार सांगानेर द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे से होती है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे से यह भी पुष्टि होती है कि वादीगण का पूर्व की भांती लगभग 18 बिस्वा पर कब्जा काश्त है। ऐसे में वादीगण का वाद दुरूस्त किया जाने योग्य होने से दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि वाकै ग्राम चिरोट पटवार क्षेत्र अजयराजपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र मूहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर साबिक खसरा नंबर 118 रकबा 18 बिस्वा के बनाये गये हाल खसरा नंबर 247 रकबा 0.04 हैक्टेयर को दुरूस्त कर, खसरा नंबर 247 रकबा 0.23 हैक्टेयर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि हाल खसरा नंबर 247 रकबा 0.04 को दुरूस्त कर, खसरा नंबर 247 रकबा 0.23 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावें। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–।** (आर.ए.एस.)

कालूराम **बनाम** सरकार वगै. वगै.

दावा घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 92 ए एवं 188

राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा/2019/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–। व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि वाकै ग्राम चिरोट पटवार क्षेत्र अजयराजपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र मूहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर साबिक खसरा नंबर 118 रकबा 18 बिस्वा के बनाये गये हाल खसरा नंबर 247 रकबा 0.04 हैक्टेयर को दुरूस्त कर, खसरा नंबर 247 रकबा 0.23 हैक्टेयर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि हाल खसरा नंबर 247 रकबा 0.04 को दुरूस्त कर, खसरा नंबर 247 रकबा 0.23 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावें। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ....✗........ मुबलिग ....✗........ बाबत् ....✗........ .... खर्चा इस मुकद्में में मय सूद बशरह ....✗........ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....✗........ का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.01.2021 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .... सहायक कलक्टर

ओहदा .... जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner